रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30112022-240667
CG-DL-E-30112022-240667

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 766] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 30, 2022/अग्रहायण 9, 1944
No. 766] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 2022/AGRAHAYANA 9, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 858(अ).— मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 746(अ), तारीख 29 सितंबर, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका इससे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिनों के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख 29 सितंबर, 2022 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और कोई आक्षेप और सुझाव उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त नहीं हुए थे ;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (इक्कीसवाँ संशोधन) नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 108 के उपनियम (1) के परन्तुक में, खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(iiक) एम्बर लाइट, यदि राष्ट्रीय राजमार्ग पर गश्त के प्रयोजन के लिए विशेष रूप से निर्दिष्ट यान पर टाप लाइट के रूप में किसी दिशा संकेतक द्वारा दर्शाई जाती है ;"।

[सं. आरटी-11028/02/2022-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 850(अ), तारीख 24 नवम्बर, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2022

G.S.R. 858(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R 746(E), dated the 29th September, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from persons likely to be affected before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 29th September, 2022;

And whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Twenty-first Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in the proviso to sub-rule (1) of rule 108, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:-

"(iia) the amber light, if displayed by any direction indicator as top light on a vehicle specifically designated for the purpose of patrolling on the National Highways;".

[No. RT-11028/02/2022-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 850(E) dated the 24th November, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA